

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

क्रमांक: - विविध/147/2025

दिनांक: - 12.09.25

तहसीलदार सीकर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक: - भू-अ/2024/309A
दिनांक 22/09/2024 व दस्तावेजों के आधार पर जगद धावाईपुर
के खाली नं. 69 में खोसदार महेन्द्र सिंह पुत्र कालूराम हिस्सा 1/3,
सुरेन्द्र कुमार पुत्र कालूराम हिस्सा 1/3 व जगद धावाईपुर
के खाली नं. 14 में महेन्द्र सिंह पुत्र कालूराम हिस्सा 3/10, सुरेन्द्र
कुमार पुत्र कालूराम हिस्सा 3/10, खाली नं. 16 में महेन्द्र सिंह
पुत्र कालूराम हिस्सा 1/12, सुरेन्द्र कुमार पुत्र कालूराम हिस्सा
1/12 व खाली नं. 15 में महेन्द्र सिंह पुत्र कालूराम हिस्सा 1/12
सुरेन्द्र कुमार पुत्र कालूराम हिस्सा 1/12 मुर किरी पति के
स्वीकृति के बावजूद अधिनियम की धारा 133 के प्रावधानों के
तहत उदात्त की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर